28.1.26 पत्रावली पेश हुई

पक्षकारान वकील अप.। रजिस्ट्रार मालाम अप.।

अधि एकतरफा।

किसान प्रहाज प्रपत्र हुआ. जिस पर अभिभाषक की बहस सुनी गयी

निहपा बाबी का वाद एवं प्रतिवादीगण की मौखिक अदालत वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर अधिनस्थ किया गया। किसान प्रहाज के समान प्रपत्र नकशा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली डिक्री शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

प्रतिवादी स. 5 से 14 का आपस में अन्य खेतों को लेकर एकीकरण किया हुआ होने से वादग्रस्त खेत पे प्र-वा-ग. 5 से 14 का आपस में संयुक्त रखते हुए अन्य खातेदारों से बटवाड़ा किया जाई